राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

सुरक्षित विद्यालय सुरक्षित बच्चे

"केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक प्रदर्शनात्मक परियोजना जिसमें 8600 विद्यालयों को शामिल किया गया है और जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की भागीदारी से किया जाना है"

सत्यमेव जयते

पृष्ठभूमि

भारत जैसे विकासशील देशों में, विद्यालय प्रायः असुरक्षित क्षेत्रों में स्थित होते हैं और वे आपातस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हाल के वर्षों में, भारत में विद्यालयों में कई भयंकर घटनाएं हुई हैं: वर्ष 1995 में हरियाणा में डबवाली में स्थित विद्यालय में एक पुरस्कार समारोह में लगी आग से लगभग 400 लोग मारे गए–इस दुर्घटना में मारे गए लोगों में आधी संख्या विद्यालय के छात्रों की थी; वर्ष 2001 में गुजरात में भुज के भूकंप में कुल 31 अध्यापक मारे गए और 95 अध्यापक घायल हुए; 971 छात्र मारे गए और 1,051 छात्र घायल हो गए। भौतिक आधारभूत ढांचे को व्यापक क्षति पहुँचने से औपचारिक शिक्षा प्रभावित हुई। कई इमारतें ढह गईं और कई अन्य इमारतों को इस्तेमाल के लिए खतरनाक घोषित किया गया। इनमें से कई इमारतों का निर्माण घटिया स्तर से किया गया था, उनमें भूकंपरोधी विशेषताओं का अभाव था और उनका रखरखाव अच्छी तरह नहीं किया गया था। 2004 में कुंभकोणम, तमिलनाडु के लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में लगी आग ने 94 बच्चों की जान ले ली; 2004 में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में आई सुनामी में हजारों छात्र और बच्चे मारे गए, घायल हुए अथवा अन्य प्रकार से प्रभावित हुए; 2007 में केरल में एक विद्यालय की पिकनिक के दौरान हुई नाव दुर्घटना में 15 बच्चे और 3 अध्यापक मारे गए।

शिक्षा, जन जागरूकता और उचित प्रशिक्षण के उपाय क्षमता को बढ़ाने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों की आधारशिला हैं जिनका लक्ष्य प्राकृतिक विपदाओं के प्रति असुरक्षित्ताओं को कम करने पर केंद्रित है। ह्योगो रूपरेखा 2005–2015: इसमें कार्रवाई की पांच मुख्य प्राथमिकताओं में से एक के तौर पर जानकारी तथा शिक्षा को विशेष प्राथमिकता देते हुए विश्व आपदा न्यूनीकरण सम्मेलन में विचारित आपदाओं का सामना करने के लिए राष्ट्रों तथा समुदायों की समुत्थानशीलता (आपदा का सामना करने की क्षमता) का निर्माण शामिल है। लोगों को विपदाओं के खतरे के प्रति अधिक जागरूक बनाने तथा आपदा के हमला करने से पहले उसके प्रति बेहतर तैयारी की जरूरत तथा संभावना पर लक्ष्य को केंद्रित करते हुए विद्यालय के छात्रों तथा युवा वर्ग को ध्यान में रखते हुए संबंधित प्रयासों पर ध्यान दिया जाए और जरूरी मदद दी जानी चाहिए।

इस दिशा में, भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम को अनुमोदित किया है–यह एक प्रदर्शनी परियोजना है जिसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, भूकंपीय क्षेत्र IV एवं V में आने वाले देश के 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों की भागीदारी से किया जाना है।

दूरदृष्टि (विजन)

1. विद्यालय में आपदा से निपटने के लिए तैयारी रखने की संस्कृति को बढ़ावा देना।

उद्देश्य

- सुरक्षित विद्यालय परिसर को सुनिश्चित करने के लिए नीति स्तर पर परिवर्तन शुरू करना।
- आपदा से निपटने के लिए तैयारी और सुरक्षा उपायों पर विद्यालय समुदाय तथा बच्चों को सुग्राहीकृत (आपदा के संबंध में संपूर्ण जानकारी देकर) करना।
- प्रमुख हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) की कार्यकलापों में सीधी भागीदारी को बढ़ावा देना जिससे एक आपदा समुत्थानशील समुदाय का निर्माण करने में मदद मिलेगी।
- अधिकारियों/कर्मचारियों, अध्यापकों तथा छात्रों के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना।
- विद्यालयों तथा उससे जुड़े परिसर में सूचना, शिक्षा तथा संचार (आई.ई.सी) कार्यकलापों को करना।
- चुनिन्दा (चुने गए) विद्यालयों में गैर–संरचनात्मक प्रशमन उपायों का क्रियान्वयन करना ।
- चुनिन्दा विद्यालयों में प्रदर्शनात्मक, संरचनात्मक पुनःमरम्मत कार्य करना।

हस्तक्षेप संबंधी कार्यनीतियों की परियोजना

क. राष्ट्रीय स्तर

1. विद्यालयों के लिए चयन मानदंड तैयार करना।
2. राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार करना।
3. आदर्श विद्यालय आपदा प्रबंधन (डी.एम.) योजना खाका (टेम्पलेट) तैयार करना जिसमें कृत्रिम अभ्यास के लिए फॉर्मेट शामिल है।
4. राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
5. आई.ई.सी. सामग्री के लिए आदर्श टेम्पलेट तैयार करना ।
6. गैर–संरचनात्मक प्रशमन दिशानिर्देश/तीव्र चाक्षुक सर्वेक्षण (आर.वी.एस.) हेतु जांच–सूची तैयार करना।
7. पुनःमरम्मत संबंधी दिशानिर्देशों को तैयार करना।
8. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंड जारी करने तथा उसके उपयोग संबंधी वित्तीय दिशानिर्देश तैयार करना।
9. निर्देशात्मक कार्यकलाप योजना सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंड जारी करना।
10. राष्ट्रीय स्तर पर मॉनीटरिंग।

ख. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर

1. 43 चुनिन्दा जिलों में प्रत्येक में 200 विद्यालयों का चयन (आइडेन्टिफिकेशन) किया गया।
2. राज्य तथा जिला स्तर पर राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के प्रक्रिया तैयार करना।
3. आई.ई.सी. सामग्री का स्थानीय भाषा में अनुवाद (यदि जरूरी हो) और मुद्रण तथा विद्यालयों में उनका परिचालन।
4. जिलों के 200 चुनिन्दा विद्यालयों में प्रशिक्षण, कृत्रिम अभ्यास तथा जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन।
5. गैर–संरचनात्मक प्रशमन उपायों का क्रियान्वयन करना, विनिर्दिष्ट जाँच–सूची के अनुसार आर.वी. एस. संचालित करना।
6. विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा तथा अनुमोदन।
7. एनडीएमए द्वारा तैयार किए जा रहे दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदर्शनात्मक पुनःमरम्मत कार्य करना।
8. राज्य कार्यकारी समिति (एस.ई.सी) के माध्यम से राज्य स्तर पर मॉनीटरिंग।
9. जिलों को फंड जारी करना।
10. विद्यालय आपदा तैयारी किटों का वितरण।

वितरण–सामग्री संबंधी परियोजना

क. राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार करना

मुख्य कार्यकलाप ये होंगे;

1. राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति के मसौदे की रूपरेखा (ब्लूप्रिंट) तैयार करना।
2. हितधारकों का परामर्श (क्षेत्रीय कार्यशालाओं के माध्यम से)।
3. नीति के मसौदे पर विचार–विमर्श करने तथा सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करना।
4. राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति का मसौदा तैयार करना।

ख. 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों में प्रत्येक में स्थित 200 विद्यालयों में क्षमता निर्माण

विद्यालय की इमारतों की संरचनात्मक असुरक्षितता, जो प्रायः विद्यालय के बच्चों की मौतों तथा चोटों का मूल कारण होती है, को कम करना एक संसाधन–सघन समाधान है और इसमें समय लगेगा। अतः, जोखिम को कम करने के प्रयास के रूप में, हर एक विद्यालय के स्तर पर आपदा तैयारी तथा कार्रवाई योजनाओं को तैयार करना यह सुनिश्चित करने के लिए बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है कि बच्चे विद्यालय के परिसर में किसी आपातस्थिति में कारगार ढंग से कार्रवाई करने या उससे निपटने के लिए बेहतर स्थिति में तैयार रहें। विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाओं को, आपदा प्रबंधन टीमों के गठन, बुनियादी जीवन सहायक कुशलताओं के साथ आपदा प्रबंधन टीमों का प्रशिक्षण तथा एक विद्यालय स्तरीय आपातकालीन किट को तैयार करके, और मदद दी जानी है। विद्यालय स्तर पर ऐसी किटों की मौजूदगी विद्यालय परिसर के भीतर अथवा इसके आसपास के क्षेत्र में आपदा के बाद किसी खोज तथा बचाव

अभियान के दौरान बड़ी मददगार साबित होगी। क्षमता निर्माण के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलाप ये होंगेः–

1. राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय सुरक्षा पर एक मानक अध्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार करना।
2. मास्टर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (प्रति राज्य 10 मास्टर प्रशिक्षक)।
3. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रति जिला 15 प्रशिक्षक)।
4. अध्यापकों का प्रशिक्षण (प्रति जिला 500 अध्यापक, अधिकारी/कर्मचारी आदि)।
5. लक्षित जिलों में 200 विद्यालयों में विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी।
6. विद्यालयों द्वारा तैयार की गईं विद्यालय आपदा प्रबंधन योजनाओं की समीक्षा तथा अनुमोदन।
7. लक्षित जिलों में 200 विद्यालयों को विद्यालय आपदा तैयारी किटों का वितरण।
8. लक्षित जिलों में 200 विद्यालयों में कृत्रिम अभ्यास संचालित करना।

ग. आई.ई.सी. गतिविधियाँ

छात्र समुदाय (अध्यापक तथा प्रशासनिक स्टाफ सहित) को आपदा से निपटने की तैयारी तथा सुरक्षा उपायों के विषयों पर सुग्राहीकृत किया जाएगा। प्रमुख हितधारकों और बड़े समुदाय के सदस्यों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यकलापों में भाग लेने और आपदा समुत्थानशीलता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लक्षित जिलों में विद्यालय के छात्रों, अध्यापकों तथा सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्राकृतिक तथा मानव जनित विपदाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों को कम करने के लिए अपनाए जाने वाले बुनियादी तैयारी संबंधी उपायों के बारे में शिक्षा देने के लिए विभिन्न जागरूकता तथा जानकारी बांटने वाले कार्यक्रम चलाए जाएंगे। शिक्षा हेतु जिला सूचना प्रणाली (डी.आई.एस.ई.), जो जिला स्तर पर पहले से ही मौजूद है, का विद्यालय से जुड़ी सभी सूचना प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाएगा। आई.ई.सी. के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलाप ये होंगे :

1. विद्यालय के छात्रों तथा विद्यालय के प्राधिकारियों के लिए स्थानीय भाषा में आई.ई.सी. सामग्री तथा अन्य शिक्षण सहायता सामग्री (बुकलेट्स) तैयार करना।
2. आई.ई.सी सामग्री– श्रव्य–दृश्य (ऑडियो विजुअल) तैयार करना।
3. आई.ई.सी सामग्री का अनुवाद, मुद्रण, प्रसार।
4. राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर सुग्राहीकरण कार्यक्रम।
5. जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जिला स्तरीय क्रियान्वयन योजना (समय तथा संसाधन आवश्यकता, दोनों को दर्शाते हुए) की तैयारी।
6. अन्य हितधारकों का चयन जो बच्चों में जागरूकता पैदा करने में प्रशासन के साथ भागीदारी कर सकें। स्थानीय गैर–सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) तथा समुदाय आधारित संगठन (सी.बी.ओ.) जोर–शोर से इस प्रयास में शामिल हो सकते हैं तथा इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन से हाथ मिला सकते हैं।
7. जिले में जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों, वरिष्ठ अध्यापकों, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन.डी.आर.एफ.)/राज्य आपदा कार्रवाई बल (एस.डी.आर.एफ.), नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों, एन.एस.एस. तथा नेहरू युवा केन्द्र संगठन के स्वयंसेवकों तथा अन्य हितधारकों जिन्हें आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए इन कार्यकलापों में शामिल किया जाएगा, के लिए सुग्राहीकरण, जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना।
8. अन्य जिला स्तरीय कार्यक्रम जैसे बच्चों के लिए चित्रकारी प्रतियोगिता, आसान प्रश्नोत्तरी आदि भी आयोजित किए जा सकते हैं।

घ. गैर–संरचनात्मक उपाय

प्रशिक्षित तकनीकी व्यक्तियों द्वारा 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 43 जिलों में से प्रत्येक में 200 विद्यालयों का तीव्र चाक्षुक सर्वेक्षण (आर.वी.एस.) किया जाएगा। आकलन रिपोर्ट के आधार पर, इन विद्यालयों में गैर–संरचनात्मक प्रशमन उपाय किए जाएंगे। गैर–संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत प्रमुख कार्यकलाप ये होंगेः

1. विद्यालय की इमारतों में मौजूद गैर–संरचनात्मक जोखिमों के आकलन के लिए एक मानक जांच सूची तैयार करना।

2. प्रत्येक लक्षित जिलों (कुल 43 जिलों) से कम से कम दो इंजीनियरों जो मौजूदा संरचनाओं की सुरक्षा का आकलन करने के लिए तकनीकी आधार पर अर्हता–प्राप्त हों, का प्रशिक्षण।
3. लक्षित जिलों में से प्रत्येक में 200 चुनिंदा विद्यालयों की इमारतों की रैपिड विजुअल स्क्रीनिंग का काम करना।
4. चुनिंदा विद्यालयों में विभिन्न गैर–संरचनात्मक आपदा जोखिम प्रशमन उपायों का क्रियान्वयन।
5. गैर–संरचनात्मक पुनःमरम्मत के महत्त्व पर छात्रों, अध्यापकों तथा संबद्ध समुदाय के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम।

ड़ 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक में एक विद्यालय में प्रदर्शनात्मक पुनःमरम्मत कार्य

22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्येक में एक विद्यालय को प्रदर्शनात्मक पुनःमरम्मत कार्य के लिए चुना जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित विद्यालय की इमारत की संरचनात्मक सुरक्षा का आकलन जिला लोक निर्माण विभाग अथवा विपदा सुरक्षा प्रकोष्ठ के प्रशिक्षित इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा। आकलन रिपोर्ट के आधार पर, संरचनात्मक पुनःमरम्मत आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाएगा और वास्तविक पुनःमरम्मत कार्य को एनडीएमए द्वारा इस विषय पर तैयार किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। पुनःमरम्मत किए गए इस विद्यालय का, यह सुनिश्चित करते हुए कि एक आपदा–पश्चात स्थिति में हिदायत देने में लगने वाले समय का नुकसान न्यूनतम रहे, जिला प्रशासन द्वारा राहत शरण केन्द्र के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। पुनःमरम्मत कार्य के अन्तर्गत प्रमुख कार्यकलाप ये होंगे:

1. विद्यालय की इमारतों में मौजूदा संरचनात्मक जोखिमों के आकलन के लिए राज्य/जिला प्रशासन को संदर्भ के लिए प्रदान की जानी वाली मानक जांच सूची तैयार करना। स्थानीय स्तर पर आवश्यकता के अनुसार, मानक जांच सूची को बाद में और संशोधित किया जा सकता है।
2. राष्ट्रीय स्तर पर पुनःमरम्मत संबंधी दिशानिर्देशों को तैयार करना।
3. विद्यालय की इमारतों की पुनःमरम्मत का काम करने के लिए चरण–वार निष्पादन योजना को तैयार करना।
4. 22 लक्षित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रत्येक जिले में एक विद्यालय की इमारत की पुनःमरम्मत रेट्रोफिटिंग।
5. संरचनात्मक पुनःमरम्मत के महत्व पर छात्र, अध्यापक तथा आसपास के समुदाय के लिए सुग्राहीकरण कार्यक्रम।
6. कामों के पर्यवेक्षण तथा निष्पादन के लिए जिला स्तरीय मॉनीटरिंग उपसमिति का गठन। (यह समिति पुनःमरम्मत संघटक के कार्य की देखभाल करेगी)।
7. प्रमुख कार्यकलापों और प्रक्रियाओं का, भविष्य में सीखने तथा अनुप्रयोग के लिए, व्यवस्थित प्रलेखन।

वित्तीय परिव्यय

यह केंद्रीय सरकार द्वारा 100: प्रायोजित एक स्कीम है जिसका कुल परिव्यय 48.47 करोड़ रुपए है।

संघटक	योग(करोड़ रुपयों में)
राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा नीति के मसौदे की तैयारी	0.32 करोड़ रु.
क्षमता निर्माण (43 जिलों में प्रत्येक में 200 विद्यालय)	14.86 करोड़ रु.
सूचना, शिक्षा तथा संचार	8.05 करोड़ रु.
गैर–संरचनात्मक प्रशमन उपाय	15.58 करोड़ रु .
प्रदर्शनात्मक पुनःमरम्मत कार्य	6.60′ करोड़ रु.
परियोजना प्रबंधन तथा क्रियान्वयन सहायता	3.06 करोड़ रु.
योग	**48.47 करोड़ रु.**

रेट्रोफिटिंग प्रदर्शनात्मक पुनःमरम्मत संघटक की लागत स्थल, आकार, इमारत, वर्गीकरण (टाइपोलॉजी), चूनिदा विद्यालयों की इमारतों की आयु पर निर्भर करते हुए अलग–अलग हो सकती है।

वितरण–सामग्री संबंधी प्रबंधन एवं परियोजना सहायता की परियोजना

इस संघटक में एनडीएमए में परियोजना प्रबंधन इकाई, राज्य/जिला स्तर पर मानव संसाधन (एच.आर.) सहायता, कार्यालय उपस्कर, प्रशिक्षण तथा एक्सपोजर विजिट्स के लिए वित्तीय प्रचालनात्मक लागतों के माध्यम से परियोजना प्रबंधन के लिए सहायता की व्यवस्था है।

परियोजना की समयावधि

परियोजना की पूर्णता के लिए लक्षित समयावधि परियोजना के अनुमोदन की तिथि से 24 मास की होगी। इस परियोजना को जून, 2013 तक पूर्ण किया जाना है।

मॉनीटरिंग तंत्र

संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए परियोजना के लिए नोडल अधिकारी होंगी। निम्नलिखित संयोजन वाली एक समिति राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम के क्रियान्वयन को मॉनीटर करेगी:

1. सुश्री सुजाता सौनिक, संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए–अध्यक्ष।
2. श्री संजय अग्रवाल, निदेशक गृह मंत्रालय।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह, उप सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय–सदस्य।
4. डा० सी० चन्द्रमोहन वरिष्ट सलाहकार (विघायल शिक्षा), योजना आयोग–सदस्य।
5. प्रोफेसर सन्तोष कुमार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन.आई.डी.एम.)–सदस्य।
6. श्री एस० के० सिंह० निदेशक, वित्त, एनडीएमए–सदस्य।
7. श्री राजेश कुमार सिंह, निदेशक, एनडीएमए–सदस्य।

संपर्क अधिकारी

श्रीमती सुजाता सौनिक,
संयुक्त सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए
दूरभाष–011–26701867 फैक्स–011–26701820

श्री राजेश कुमार सिंह, एनडीएमए
निदेशक (नीति एवं योजना),
दूरभाष एवं फैक्स–011–26701840

श्री एस.के. प्रसाद,
अवर सचिव (नीति एवं योजना), एनडीएमए
दूरभाष–011–26701885/887
फैक्स–011–26701834

श्रीमती तनुश्री वर्मा,
परियोजना सहायता संबंधी सहयोगी अधिकारी (प्रोजेक्ट सपोर्ट एसोशियेट), एनडीएमए
दूरभाष–011–26701842
ई–मेलः NSSP.NDMA@gmail.com

राज्यों एवं जिलों की सूची

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला (भूकंपीय क्षेत्र)
1.	जम्मू–कश्मीर	लेह (IV) कुपवाड़ा (V)
2.	हरियाणा	गुड़गांव (IV) फरीदाबाद (IV)
3.	मेघालय	पूर्वी गारो पहाड़ियां (V), रिभोई (V)
4.	मणिपुर	चंदेल (V), इंफाल पूर्वी (V)
5.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (V), कुल्लू (V)
6.	गुजरात	कच्छ (V), जामनगर (IV)
7.	असम	कामरूप महानगर (V), तिनसुकिया (V)
8.	नागालैण्ड	मोकोकचुंग (V), कोहिमा (V)
9.	पंजाब	अमृतसर (IV), लुधियाना (IV)
10.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ (IV)
11.	राजस्थान	अलवर (IV), बीकानेर (IV)
12.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियांग (V), लोहित (V)
13.	सिक्किम	पूर्वी (IV), दक्षिणी (IV)
14.	दिल्ली	पश्चिमी दिल्ली (IV), दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली (IV)
15.	त्रिपुरा	उत्तरी (V), पश्चिमी (V)
16.	उत्तराखण्ड	बागेश्वर (V), रुद्र प्रयाग (V)
17.	बिहार	मधुबनी (V), अररिया (V)
18.	मिजोरम	आइजोल (V), सरछिप (V)
19.	अण्डमान एवं निकोबार	अण्डमान (V), निकोबार (V)
20.	पश्चिम बंगाल	कूच बिहार (IV), दार्जिलिंग (IV)
21.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद (IV), लखीमपुर खीरी (IV)
22.	महाराष्ट्र	पुणे (IV), सतारा (IV)

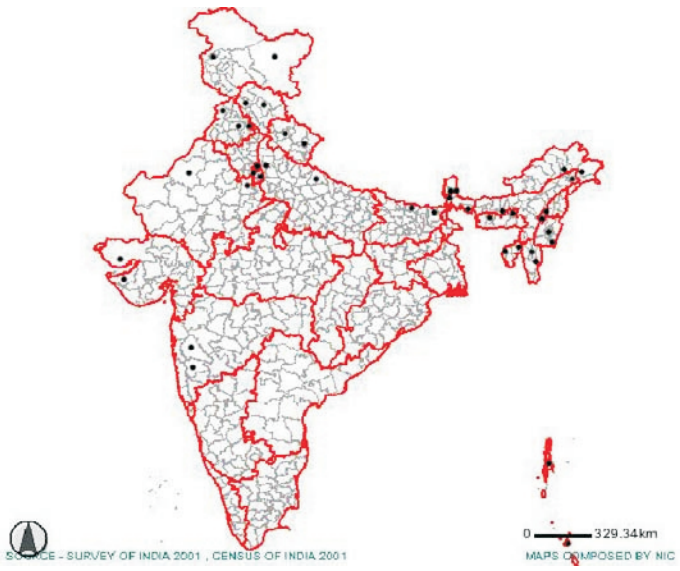

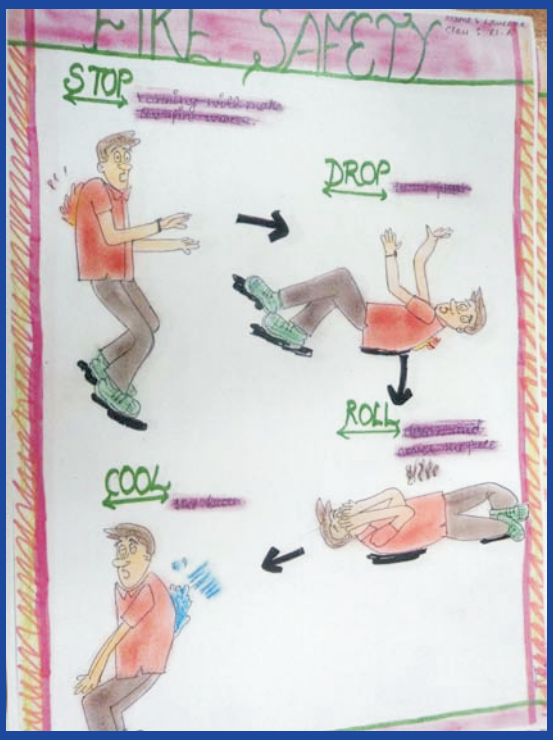

यह पुस्तिका (ब्रोशर) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए भारत सरकार–संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की आपदा जोखिम न्यूनीकरण परियोजना (2009–2012) के अन्तर्गत तैयार की गई है।

UNDP
Empowering lives.
Resilient nations.

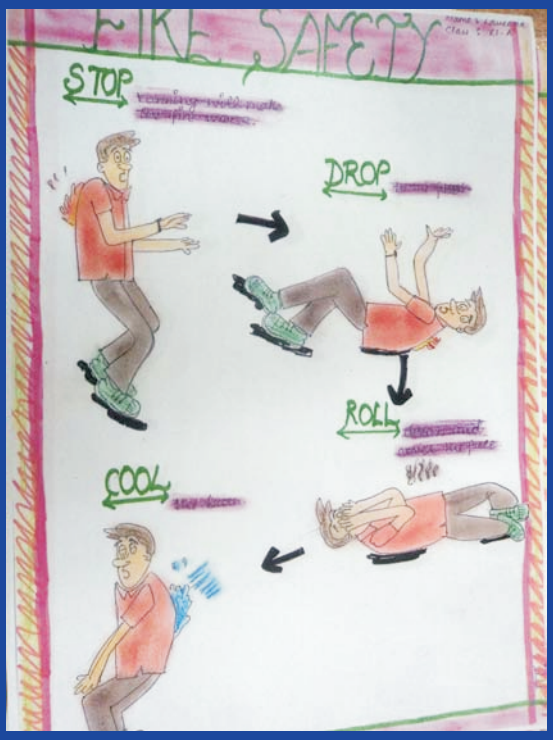

This brochure has been prepared for the NDMA under the GOI-UNDP Disaster Risk Reduction Project (2009-2012)

UNDP
Empowering lives.
Resilient nations.